

किताबी जूं

पुस्तकालयों, लोगों के निजी संग्रहों एवं पुस्तक विक्रेताओं के भण्डारों में कुछ ऐसे ग्रंथ भी होते हैं जिन्हें प्रयोग में लाया ही नहीं जाता अथवा बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है। अगर इन ग्रंथों का भली प्रकार रख-रखाव न किया जाए तब इन में कुछ विशेष प्रकार के कीट उत्पन्न हो जाते हैं जिनको किताबी जूं (Insecta, Corrodentia) कहा जाता है। इन का आकार बहुत सूक्ष्म, लगभग डेढ़ मिलीमीटर लम्बा, जूं जैसा होता है। रंग भूरा, कभी सफेद या हल्का पीला एवं कुछ जातियों का रंग हल्का भूरा भी होता है। इन का शरीर मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है जिन्हें सिर (Head), डरस् (Thorax) और अवसानक (Pygidium) कहते हैं। सर पर छोटी-छोटी दो आँखें, मुख के ऊपर दो मूँछें, पैर लम्बे कॉटिदार अथवा टिकाऊ होते हैं। इन की बहुत सी जातियां होती हैं। कुछ जातियों में पंख भी पाये जाते हैं जिनकी सहायता से यह उड़ सकते हैं। क्योंकि इनका आकार जूं जैसा होता है और यह अधिकतर किताबों के पुराने कागजों आदि के बीच में पाये जाते हैं, इन लक्षणों के कारण इन को सामान्य भाषा में किताबी जूं (Book louse) कहा जाता है। इनकी मादा लगभग बीस से लेकर सौ तक अण्डे देती है। अण्डों से बच्चे निकलने में कभी काफी समय लग जाते हैं।

बच्चों के लिये ग्रीष्म ऋतु काफी उपयुक्त होती है। अगर इनकी मादा ने शरद ऋतु में अण्डे दिये हैं तब वे ग्रीष्म ऋतु आने तक निष्क्रिय ही रहते हैं। इनकी वृद्धि के लिये सीलन, वातावरण में नमी एवं अंधेरा बहुत आवश्यक है। जिस स्थान पर सीलन अथवा नमी हो, साथ में अंधकार भी हो वहां इन में वृद्धि बहुत तीव्र मात्रा में होती है। बच्चे को पूरा कीट बनने में लगभग तीन - चार माह का समय लग जाता है। अपने जीवन काल में यह कई बार अपने शरीर का बाहरी आवरण (झिल्ली) उतार फैकते हैं।

इनका मुख्य भोजन किताबों अथवा कागजों में प्रयोग की जाने वाली लेई, सरेस, पेड़ों की छालें, सड़े गले पत्ते, सब्जियां, सड़ी दालें, ब्रैड, फफूँदी, मरे हुये जन्तुं अथवा अन्य सड़ी गली वस्तुएँ हैं। यह किताबों और कागजों आदि पर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करते हैं और उनकी पीठ (Spine) आदि पर जहां जहाँ भी लेई का प्रयोग हुआ हो अपने दातों की सहायता से उन भागों को काट डालते हैं। यह कीट केवल किताबों पर ही निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने आस पास की हर सड़ी गली वस्तु को खाना आरम्भ कर देते हैं। इसोई घरों में जहां खाने पीने की वस्तुएँ ढक कर अथवा अच्छी तरह से बन्द करके न रखी गई हों, यह कीट वहां भी घुस जाते हैं और उन वस्तुओं को खाने के साथ साथ अपने शरीर से निकलने वाली गन्दगी भी उन्हीं में छोड़ देते हैं। साथ में अण्डे भी देते हैं जिस कारण खाने पीने की वस्तुएँ बहुत जल्द नष्ट हो जाती हैं। आकार छोटा होने के कारण लोग इन पर ध्यान नहीं दे पाते परन्तु इन से होने वाली हानि कभी बहुत होती है।

दीमक भी किताबों और कागजों आदि को बहुत क्षति पहुंचाती है। दीमकों और इन कीटों में अन्तर यह है कि दीमकों का मुख्य भोजन लकड़ी, गन्ना, कागज व कपड़े आदि में पाई जाने वाली सैल्युलोज है और इन कीटों का मुख्य भोजन किताबों की जिल्दों में प्रयोग की जाने वाली लेई अथवा अन्य सड़ी गली वस्तुएँ। इस कारण यह दीमक की तुलना में किताबों आदि को कम क्षति पहुंचाते हैं परन्तु कभी-कभी दूसरी खाने पीने की वस्तुओं को बहुत अधिक क्षति ग्रस्त कर देते हैं।

मौहम्मद फुरकानउल्लाह, "वरिष्ठ तकनीकी सहायक"

इन के प्रकोप से बचने एवं उस से होने वाली हानि को रोकने के लिये निम्न उपाय करना बहुत आवश्यक है -

1. किताबों, कागजों आदि को सीलन व नमी के स्थान से हटा कर रखें अथवा समय-समय पर उनकी सफाई की व्यवस्था करें।
2. अगर किताबों, कागजों आदि की जिल्द बन्दी के लिये लेई प्रयोग में लाई गई हो तो उस में तूतिया (कॉपर सल्फेट) अवश्य मिला रहना चाहिये।
3. रसोई घर इत्यादि में जहं पर खाने पीने की वस्तुओं का भण्डारण किया गया हो कभी भी सीलन व नमी न आने दें। अगर सीलन के कारण इन कीटों का प्रकोप हो भी जाये तब रेडियेटर आदि प्रयोग में लाकर अथवा खिड़की दरवाजे आदि खुले रख कर वातावरण से नमी को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर इन कीटों का प्रकोप काफी तीव्र हो तब रसोईघर अथवा वह स्थान जहां यह कीट पैदा हो गये हैं वहां धुआ कर देना चाहिये और कमरे को बन्द कर देना चाहिये।
4. पुस्तकों एवं कागजों आदि से इन के प्रकोप को रोकने के लिये फिनायल व कपूर आदि की गोलियां एवं कुछ अन्य रसायन भी प्रयोग में लाये जाते हैं। अलमारियों में रखे कागजों व पुस्तकों में जहां भी इन का प्रकोप हो वहां अच्छी तरह से सफाई करके कपूर व फिनायल आदि की गोलियां किसी बर्तन या चौड़े मुँह वाली शीशी में रख देना चाहिये और अलमारी को अच्छी तरह से बन्द कर देना चाहिये जिस से इन गोलियों से निकलने वाली गन्ध से कीट मर जायें।

इन उपायों को प्रयोग में लाकर हम अपनी पुस्तकों एवं अन्य वस्तुओं की इन कीटों से रक्षा कर सकते हैं।

"एक भाषा जनता को संगठित कर सकती है, दो भाषाएँ जनता को विभाजित करती हैं, यह एक निष्ठुर सिद्धान्त है। संस्कृति भाषा का संरक्षण करती है यदि भारतवासी संगठित होने और सामान्य संस्कृति के विकास के इच्छुक हैं, तो सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि वे अपनी भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाएँ।"

डा० अम्बेडकर
